Document No. 5
वर्जन : 2
दिनांक : 23 दिसम्बर 2021

राशन खरीद गुणवत्ता नियंत्रण
मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

1. राशन सामग्री की खरीद नीचे दी गई सूची व गुणवत्ता स्पेसिफिकेशन के अनुसार विक्रेता को देना होगा–

सारणी : 1

क्रय हेतु राशन सामग्री सूची व Specification					
कम संख्या	**सामग्री का नाम**	**मात्रा (प्रति पैकेट)**	**पैकेट की आवश्यकता**	**विशेष विवरण (Specification)**	**पैकिंग**
1	मक्का दलिया	500 ग्राम	2500	दलिया सफेद मक्का का हो, दलिये का दाना मध्य स्तरीय मोटा व साफ हो, कंकड़, मिट्टी न हो, दलिये का आटा नही हो, पुराना दलिया व किड़े न हो।	पैकिंग पॉलिथिन PET,HDPE,LDPE&PP कैटेगरी का हो, पॉलिथिन की मोटाई 50 माईक्रोन से अधिक व food Grade हो। पैकेजिंग सिलींग पूरी होनी जरूरी है।
2	चना दाल	1 कि.ग्रा.	2500	सूखे चने की पीली दाल, दाना साबूत दो टूकड़ो मे विभाजन हो व साफ हो, कंकड़, मिट्टी न हो, दाल का आटा न हो, पुरानी दाल व किड़े न हो।	
3	मुँग छिलके	1 कि.ग्रा.	2500	मुँग की दाल छिलके वाली हो, प्रत्येक दाना दो टूकड़ों मे विभाजन व साफ हो, कंकड़, मिट्टी न हो, दाल का आटा न हो, पुरानी दाल व किड़े न हो।	
4	सोयाबीन वड़ी	500 ग्राम	2500	सेयवड़ी साफ–सूथरी हो, पुरानी न हो, सोयावड़ी का आकार गुनगुने पानी मे डालने पर उसकी साईज बड़ी व स्पंजनुमा हो, कंकड़, मिट्टी न हो, वड़ी का आटा न हो, किड़े न हो।	
5	चाय पत्ती	200 ग्राम	2500	काली चाय पत्ती बड़े दानेदार हों।	
6	गुड़	200 ग्राम	2500	देशी दानेदार गुड़, जिसका कलर गहरा भूरा हो, चून्ने का मिलावट न हो।	
7	सरसो तेल	500 मी.ली.	2500	सरसों का तेल कच्ची घानी का शुद्व हो। हाथ पर रगड़ने पर कलर न छोड़े।	

2. राशन सामग्री, संस्था की खरीद टिम द्वारा अनुमोदित राशन किट सूची के अनुसार ही क्रय किया जायेगा।

3. राशन किट सूची के अनुसार विक्रेता से प्राप्त काउन्टर नमूने को संस्था के अधिकृत अधिकारी द्वारा जाँच किये जाने के पश्चात, स्वीकृती मिलने पर ही राशन क्रय किया जायेगा।

4. स्वीकृत काउन्टर नमूने के आधार पर क्रय किये गये राशन सामग्री मे से कुछ रण्डमली सेम्पलानुसार संस्था के अधिकृत अधिकारी द्वारा राशन सामग्री की जाँच की जायेगी, कि क्रय किया गया राशन काउन्टर नमूने अनुसार है या नहीं।

5. राशन सामग्री स्वीकृत नमूनो के अनुरूप नही होने पर, सामग्री अस्वीकार की जा सकती है।

6. सारणी संख्याँः 1 राशन सामग्री एक साथ खरीद करने से राशन के खराब होने की संभावना बढ जाती है, अतः उक्त राशन की मात्रा को संस्था वितरण के अनुसार वर्ष मे लगभग तीन–तीन माह के अन्तराल मे 3 किश्तों मे खरीद करेगी।

7. क्रय की गई, राशन सामग्री में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी या पुरानी होने पर, विक्रेता को उस राशन सामग्री को बदलकर देना होगा।

8. क्रय की गयी राशन सामग्री की डिवेवरी विक्रेता को ईसवाल प्रशिक्षण केन्द्र पर देनी होगी।

    8.1 माल की डीलेवरी लेते समय अधिकृत अधिकारी द्वारा जाँचना है कि माल दिये गये टेबल नमूनों व ऑर्डर के अनुसार है या नही।

    8.2 माल प्राप्ति के बाद मुख्य वितरण केन्द्र, पर माल का इन्द्राज स्टोक पंजिका में चढ़ेगा।

    8.3 मुख्य वितरण केन्द्र पर माल का इन्द्राज स्टोक पंजिका मे हो जाने के पश्चात खण्ड स्तरीय वितरण केन्द्र को ईशु किया जायेगा।

    8.4 खण्ड कार्यालय मे खण्ड समन्वय द्वारा माल का इन्द्राज स्टोक पंजिका में चढ़ेगा, तत् पश्चात वितरण योजना अनुसार माल तीन माह के भीतर वितरण करना होगा।

    8.5 वितरण होने के पश्चात ही माल की दूसरी व तीसरी किश्त का ऑर्डर दिया जायेगा।